न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केकड़ी जिला –अजमेर(राजस्थान)

राजस्व प्रार्थना पत्र 35/2018(2018/00489)

1. मुकना पुत्र बेदा जाति चमार निवासी ग्राम अम्बापुरा तहसील केकडी जिला अजमेर।

—वादी

बनाम

1. नाथू पुत्र नारायण पत्नी रामसुख जाति चमार निवासी ग्राम अम्बापुरा तहसील केकडी जिला अजमेर
2. श्रीमति बरदी पुत्री नारायण पत्नी रामसुख जाति चमार निवासी ग्राम अम्बापुरा हाल निवासी अरणिया तहसील मालपुरा जिला टोंक
3. श्रीमति मनभर पुत्री नारायण पत्नी प्रहलाद जाति चमार निवासी ग्राम अम्बापुरा हाल निवासी अरणिया तहसील मालपुरा जिला टोंक।
4. रामचन्द्र पुत्र सुखा जाति चमार
5. बख्तावर पुत्र बेदा जाति चमार
6. मूला पुत्र हरजी जाति चमार

   निवासीगण ग्राम अम्बापुरा तहसील केकड़ी जिला अजमेर।
7. राजस्थान सरकार जरिये श्रीमान तहसीलदार साहब केकडी तहसील केकडी जिला अजमेर।

—प्रतिवादीगण

(प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा आदेश 9 नियम 13 जा.दी. सपठितधारा 151 जा.दी)

उपस्थितः–1. अब्दुल सलीम गौरी– वकील प्रार्थी

2. निर्मल चौधरी–वकील अप्रार्थी

–आदेशः– **दिनांक 25.4.2022**

वकील अप्रार्थी ने उक्त प्रकरण मे प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 13 जा.दी. सपठित धारा 151 जा.दी पेश किया प्रार्थना पत्र के तथ्य संक्षेप मे इस प्रकार से है –

प्रतिवादीगण संख्या 1,2,3,5 की ओर से निवेदन किया कि माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 26.4.2017 को रेवेन्यू वाद संख्या 146/13 मुकना बनाम नाथू वगैरह का एक पक्षीय कार्यवाही कर दिनांक 09.05.2010 को उक्त मुकदमें में आदेश व डिक्री पारित कर दी गयी है उक्त प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 1 से 6 एक तरफा कार्यवाही की किसी प्रकार की कोई जानकारी नहीं थी और दिनांक 09.05.2010 को उक्त मुकदमे मे आदेश व डिक्री पारित कर दी गयी थी। उक्त मुकदमे की दिनांक 06.08.2018 को उक्त मुकदमे की नकल निकला कर सम्पूर्ण मुकदमे की दिनांक 08.08.2018 को जानकारी हुयी है इससे पूर्व जानकारी नहीं थी। उक्त प्रकरण मे प्रतिवादीगण के पूर्व अभिभाषक द्वारा उक्त मुकदमे मे उपस्थित नहीं होने के कारण एक तरफा कार्यवाही अमल मे लायी गयी है न कि प्रतिवादीगण की गलती से एक तरफा कार्यवाही हुयी है। तथा प्रतिवादीगण के पूर्व अभिभाषक ने भी प्रतिवादीगण को कोई सूचना नही दी गयी है। प्रतिवादीगण जीविकोपार्जन हेतु कमाने खाने के लिए बाहर जाने के कारण [illegible] प्रार्थना पत्र पेश नहीं कर सके है उक्त प्रकरण से दिनांक 26.04.2017 को की गयी एक तरफा कार्यवाही का मनसुख की जाकर प्रतिवादीगण को प्रकरण में पेरवी करने का अवसर दिलाया जाना न्यायोचित है।

वादी की और से जवाब प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 13 जा.दी सपठित धारा 151 जाप्ता दीवानी मे जवाब पेश किया–

प्रतिवादी ने प्रार्थना पत्र के पैरा संख्या 01 [illegible] से आदेश व डिक्री की जो तारीख अंकन की है जो संशय की स्थिति [illegible] है कि प्रकरण का उदभव दिनांक

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2022.05.26 14:54:14 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी (अजमेर)

Scanned with CamScanner

11.9.2013 को हुआ तो यह कैसे संभव है कि दावा का निस्तारण कैसे हो सकता है तथा प्रतिवादीगण ने अपने प्रार्थना पत्र में दिनांक 26.4.2017 को उपरोक्त प्रकरण मे प्रतिवादीगण के विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही का अंकन किया है जबकि काबिले गौर है कि दिनांक 23.9.2013 को बावजूद सूचना के प्रतिवादीगण 1 व 4 लगायत 6 माननीय न्यायालय में उपस्थित नही हुवे तथा दिनांक 18.10.2013 को माननीय हाजा द्वारा प्रतिवादी संख्या 01 व 4 लगायत 6 के विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई तथा प्रतिवादी संख्या 02 व 03 को जरिये रजिस्टर्ड एडी द्वारा तलब किया गया जिसकी दिनांक 13.11.2013 को मुकर्रर की गई तथा दिनांक 15.1.2014 को तलबी के बावजूद मान्य हाजा मे प्रतिवादी संख्या 2 व 3 उपस्थित नही हुवे तथा दिनांक 27.01.2014 को प्रतिवादी संख्या 2 व 3 की एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई तथा दिनांक 10.02.2014 मुकर्रर की गई । प्रार्थना का पैरा संख्या 2 में प्रतिवादीगण संख्या 1,2 ,3 व 5 ने यह तहरीर किया कि एक तरफा कार्यवाही की कोई जानकारी नही है जो गलत तथ्य प्रस्तुत किया है जबकि हकीकत यह है कि उपरोक्त प्रकरण में प्रतिवादीगण द्वारा अधिवक्ता हेमन्त ...न द्वारा दिनांक 10.02.2014 को वकालतनामा प्रस्तुत हुआ तथा प्रतिवादीगण संख्या 1,4,5 व 6 की दिनांक 18.10.2013 को व प्रतिवादी संख्या 2 व 3 की दिनांक 17.01.2014 को एक पक्षीय कार्यवाही अमल मे लाई गई इससे साफ जाहिर हो रहा है कि माननीय हाजा द्वारा प्रतिवादीगण को बार बार सूचित किया गया लेकिन प्रतिवादीगण ने अपनी लापरवाही के कारण उक्त मुकदमे मे हाजरी नही दी तथा दिनांक 10.02.2014 को माननीय हाजा मे जरिये अभिभाषक अपनी उनपस्थिति दी तो जानकारी नही होने का सवाल नही बनता। यह कि प्रार्थना पत्र का पैरा संख्या 3 प्रतिवादीगण स्वंय सिद्व करे। यह कि प्रार्थना पत्र का पैरा संख्या 4 कथन निराधार एंव गलत है जबकि उक्त प्रकरण मे एक पक्षीय कार्यवाही अधिवक्ता की लापरवाही से ना होकर स्वंय प्रतिवादीगण से हुई है जबकि उक्त
प्रकरण में मान्य हाजा द्वारा उक्त पत्रावली दिनांक 28.5.2015 व दिनांक 26.3.2016 , दिनांक 10.05.2017 को लोक अदालत के जरिये वादी व प्रतिवादीगण को नोटिस द्वारा सूचित किया था लेकिन प्रतिवादीगण ने नोटिसो की परवाह नही करते हुवे मान्य हाजा मे उपस्थिति नही दी तथा उक्त पत्रावली मे दिनांक 28.3.2014 प्रतिवादीगण 1,2,3,4,6 के द्वारा आदेश 9 नियम 7 151 जाप्ता दीवानी का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। प्रार्थना पत्र का पैरा संख्या 5 कथन निराधार है एवं गलत है प्रतिवादीगण स्वंय सिद्व करे। प्रार्थना पत्र का पैरा संख्या 6 प्रतिवादीगण स्वंय सिद्व करे। कानूनी है शेष वाद अस्वीकार है। प्रतिवादीगण ने उक्त प्रार्थना पत्र क्लीन हेन्ड से प्रस्तुत नहीं किया है जो किसी प्रकार से चलने योग्य नहीं है। प्रतिवादीगण को उक्त प्रकरण की समस्त जानकारी होने के पश्चात भी मान्य न्यायालय को मुगालते में रखते हुये जो प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है जो चलने योग्य नहीं है।

वकील पक्षकार की बहस पर गौर किया। प्रतिवादीगण को नोटिस तामिल के बाद भी उपस्थित नही हुए प्रकरण में मेरिट अंतिम निर्णय हो चुका जिसकी सक्षम न्यायालय में प्रतिवादीगण अपील करने हेतु स्वतंत्र है लिहाजा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा आदेश 9 नियम 13 जाप्ता दीवानी सपठित धारा 151 जाप्ता दीवानी सपठित धारा 151 जाप्ता दीवानी स्वीकार योग्य नहीं होने से अस्वीकार कर खारिज किया जाता है खर्चा फरिनकेन अपना-अपना वहन करे।

आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2022.05.26 14:54:14 IST
Reason: SelfAttested

(विकास पंचोली)
उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी

उपखण्ड अधिकारी केकड़ी (अजमेर)

अधिकारी उपखण्ड केकड़ी (अजमेर)

Scanned with CamScanner